:36PM HP LASERJET FAX P.01

संख्या-एसपी-1873/बयालिस-103/एसपी/73

प्रेषक,

श्री टी0एस0आर0 सुब्रमण्यम,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त क्रीड़ाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

क्रीड़ा अनुभाग लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 1994

विषय:- सरकारी स्टेडियमों व क्रीड़ा संकुलों का प्रयोग खेलों के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों के लिए उपयोग किये जाने पर प्रतिबंध।

महोदय,

उक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की यह सुनिश्चित नीति है कि स्टेडियमों, क्रीड़ासंकुलों और अन्य क्रीड़ा अवस्थापनाओं का प्रयोग [illegible] के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्यक्रम के लिए न किया जाय। इस विषय में पूर्व में निम्नलिखित शासनादेश जारी किये गये हैं।

- - - - - - - - - - /74-103/ए0एसपी/73 दिनांक 29-6-74
संख्या-एसपी-142/74-103/एसपी/73 दिनांक 20-7-1979
सं0-एसपी-3489/बयालिस-103/एसपी/73 दिनांक 27-1-1990
सं0-200/बयालिस-103/एसपी/73 दिनांक 19-1-1991
सं0-एसपी-1353/बयालिस-103/एसपी/73 दिनांक 27-3-1991
सं0-एसपी-134/बयालिस-103/एसपी/73 - - - - - - - - - -

इसके बावजूद यह सामान्य अनुभव रहा है कि इन शासनादेशों के अनुपालन की स्थिति में अब भी पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। शासन की जानकारी में कुछ ऐसे मामले आये हैं जिनमें इन शासनादेशों के विपरीत स्टेडियमों में अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये गये। यह स्थिति खेदजनक है।

2- इन परिस्थितियों में पूर्व में निर्गत शासनादेशों के दिये गये निर्देशों की एक बार पुनः पुनरावृत्ति करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया क्रीड़ांगनों के उपयोग के बारे में उक्त सुनिश्चित नीति का कठोरता से पालन किया जाय और किसी भी स्थिति में इसमें छूट के प्रस्ताव शासन को संदर्भित न किये जायें।

भवदीय
ह0/-
(टी0एस0आर0 सुब्रमण्यम)
मुख्य सचिव।

संख्या-[illegible]/बयालिस-103/एसपी/73 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निदेशक, खेलकूद उत्तर प्रदेश, [illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
ह0/-
([illegible] सिंह)
सचिव।

खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
[illegible], लखनऊ।
लखनऊ: दिनांक अप्रैल 23, 1994

संख्या [illegible]
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- उप निदेशक (क्षेत्र), क्षेत्रीय खेल कार्यालय, मेरठ। [illegible]
2- [illegible] क्रीड़ाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

([illegible])
उप निदेशक (खेल)
कृते निदेशक।

[illegible] दिनांक 23-4-1994

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–589 /बयालिस–2011–103(एस0पी0/73

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

जी–1162
24/03/11

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक : 22 मार्च 2011

खेलकूद अनुभाग

विषयः– सरकारी स्टेडियमो एवं क्रीड़ा संकुलो का प्रयोग खेलो के अतिरिक्त अन्य कार्यकमो के लिए उपयोग किये जाने पर प्रतिबन्ध।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में नागरिक उड्डयन विभाग के शासनादेश संख्या– 285/ना0उ0वि0/छप्पन/2011, दिनांक 01 मार्च, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करे, (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें निर्देश दिये गये है कि किसी भी दशा में स्टेडियम में हैलीपैड का निर्माण न कराया जाय। स्टेडियम का निर्माण विभिन्न खेलो के आयोजन के लिये किया जाता है, तथा स्टेडियम में हैलीपैड निर्माण से उसके ट्रैक आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2– उक्त शासनादेश की प्रतिलिपि संलग्न करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी स्टेडियमो के उपयोग के सम्बन्ध में खेल विभाग द्वारा शासनादेश संख्या– एस0पी0 3489/बयालिस–103 एस0पी0–73, दिनांक 20 जुलाई 1979 एवं शासनादेश संख्या 200/बयालिस–103/एस0पी0/73 दिनांक 27–1–1990 एवं 1273/बयालिस–103/एस0पी0/73 दिनांक 10 अप्रैल, 1994 द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि स्टेडियम का उपयोग खेलकूद के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यकम के लिये न किया जाय, उक्त शासनादेशो के बाद भी शासन के संज्ञान में लाया जाता है कि स्टेडियम का प्रयोग अन्य किसी कार्यकम के लिये किया गया है । स्टेडियम का उपयोग अन्य कार्यकमो में करने से क्रीड़ागन के रख–रखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त शासनादेशो की प्रतियॉ संलग्न की जा रही है।

3– अतः आपसे पुनः यह कहना है कि सरकारी स्टेडियम एवं क्रीड़ा संकुल का प्रयोग खेलो के अतिरिक्त अन्य कार्यकमो के लिये न किया जाये, और न ही अन्य कार्यकमो के लिये स्टेडियम आवंटन हेतु शासन में अनुरोध पत्र भेजे जाये। कृपया उक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

18.3.11

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

...2/–

GO-2010-11

संख्या-589 (1)/बयालिस–2011–तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– निदेशक, खेल उ0प्र0 लखनऊ।
2– समस्त क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी उ0प्र0।
3– समस्त जिला क्रीड़ा अधिकारी उ0प्र0।
4– निजी सचिव, प्रमुख सचिव (श्री आर0पी0 सिंह) मा0 मुख्य... उ0प्र0।

आज्ञा से,

(अ...)

अ...